

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, प्रथम जोधपुर
प्रमाण पत्र

फाउण्डेशन ट्रस्ट रातानाडा जोधपुर द्वारा संचालित यूरो इन्टरनेशनल स्कूल शिकारगढ उधियाडा पं०स० मण्डल जोधपुर, को राजस्थान राज्य में सबके लिए शिक्षा के लक्ष्य एवं गैर सरकारी संस्थाओं को लक्ष्य प्राप्ति के लिए निभाई जा रही भूमिका के दृष्टिगत श्रीमान व. शासन उपराधिव के पत्रांक प-9 (3) शिक्षा-5/ऑनलाईन मान्यता/2015 पार्ट जयपुर दिनांक 30.06.16 एवं श्रीमान निदेशक महोदय प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान वीकानेर के पत्रांक शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/सी०एफ०/19626/ऑनलाईन मान्यता/2016-17 दिनांक 30.06.16 द्वारा जारी विज्ञापित के क्रम में संस्था द्वारा प्रस्तुत मान्यता आवेदन पत्र एवं राक्षम स्तर पर निरीक्षण एवं अनुमोदन उपरान्त निम्न शर्तों एवं अनुबंधों के आधार पर सत्र 2016-17 से उच्च प्राथमिक स्तर पर मान्यता/कमोन्नति कर (माध्यम-अंग्रेजी में) संचालन करने की स्वीकृति जारी की जाती है।

1. संस्था द्वारा प्रस्तुत राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था नियम 1993 के परिशिष्ट-1 में अंकित सूचनाएं परिशिष्ट-2 में यथा निर्दिष्ट निबंधनों तथा शर्तों की पूर्ति एवं इस बात के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र अनुसार कमी पाये जाने पर जारी प्रमाण पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।
2. संस्था द्वारा राज्य सरकार, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, उप निदेशक माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा एवं ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने पर आदेशों, निर्देशों व अनुदेशों का तत्परता से पालन करने एवं उनसे समय-समय पर मांगी जाने वाली अन्य सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु संस्था पाबंद होगी। अवमानना की स्थिति में जारी प्रमाण-पत्र प्रत्याहरित करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।
3. संस्था के विद्यार्थी किसी अन्य गैर सरकारी शिक्षण संस्था अथवा सरकारी विद्यालय में प्रवेश हेतु पात्र होंगे, परन्तु इस प्रयोजनार्थ इन्हें संस्था द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा अथवा शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित सामान परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
4. राजस्थान सरकार के नवीन निर्देशानुसार प्रत्येक संस्था को प्रत्येक तीन वर्ष में अपने द्वार : विद्यालय भवन का भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र मय ब्लू प्रिंट के सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर करना होगा।
5. राजस्थान गैर सरकारी शिक्षण संस्थान नियम 1993 के नियम 23 के अनुरूप कार्यकारिणी का कर प्रमाणित प्रति इस कार्यालय को समय-समय पर प्रस्तुत करनी होगी।
6. संस्था द्वारा संचालित विद्यालय को प्रमाण-पत्र जारी करने के वर्ष 2016 में कक्षा 6, 2017 में 2018 में कक्षा 8 प्रारम्भ कर सकेंगे।
7. अभिभावक/छात्र के द्वारा T.C. चाहने पर नियमानुसार जारी करेंगे एवं प्रधानाध्यापक के परिवर्तन की सूचना परिवर्तन के साथ ही हस्ताक्षर प्रमाणित कर प्रस्तुत करेंगे।
8. विभाग की पूर्व स्वीकृति के बिना शाला संचालन स्थान का परिवर्तन नहीं किया जावे।
9. सूचना के अधिकार के तहत आपके विद्यालय से सम्बन्ध सूचनाएं मांगने पर प्रस्तुत करनी होगी।
10. आरटीई (RTE) के नियमों की पालना करनी होगी।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा, जोधपुर
दिनांक : 23/03/17

क्रमांक : जिशिअ/प्राशि/जोध/मान्यता/2016/एफ-20/444

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ -

1. श्रीमान निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, वीकानेर।
2. श्रीमान उपनिदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, जोधपुर मण्डल, जोधपुर।
3. श्रीमान ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, जोधपुर।
4. फाउण्डेशन ट्रस्ट रातानाडा जोधपुर।
5. कार्यालय पंजीक।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा, जोधपुर